विविध बैंक प्रकरण संख्या 115/2022(GCMS : 2022/164) ए यू स्मॉफ लाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 4–ई–8–जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड, नजदीक गौड़ हॉस्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पोर्टफोलियों कलेक्शन मैनेजर श्री मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद बनाम 1. दाता किरयाणा स्टोर, केयर ऑफ हरीराम मेघवाल, निवासी 6 डीबी दाता किरयाणा स्टोर, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर 2. मनीष कुमार पुत्र हरीराम निवासी वार्ड नं 11, 22 –एएस–बी, 6 डीडी, मेन बस स्टेण्ड जिला श्रीगंगानगर 3. सावित्री देवी पत्नी मनीष कुमार निवासी वार्ड नं. 11, 22 एएस–बी, 6 डीडी मेन बस स्टेण्ड, जिला श्रीगंगानगर 4. हंसराज पुत्र श्रवणराम निवासी वार्ड नं. 3, 10 डीडी, 2 केएम, घड़साना जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.08.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार मेहन्दीरता उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 22.06.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण दाता किरयाणा स्टोर, मनीष कुमार, सावित्री देवी एवं हंसराज को ऋण सुविधा के रूप में 13.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये तेरह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 22.04.2019 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मनीष कुमार की सम्पत्ति पट्टा नं. 70 (क्षेत्रफल 2250 वर्गफुट) गांव 22 एएस–बी, ग्रा.प. 6 डीपी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर एवं सावित्री देवी की सम्पति पट्टा नं. 71 (क्षेत्रफल 2250 वर्गफुट) गांव 22 एएस–बी, ग्रा.प. 6 डीपी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 08.02.2022 को अनुत्पादक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 21.02.2022 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

12,41,991/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 14.02.2022 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।** धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.02.2022 को भिजवाये गये है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी मनीष कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अपनी सम्पत्ति पट्टा नं. 70 (क्षेत्रफल 2250 वर्गफुट) गांव 22 एएस—बी, ग्रा.प. 6 डीपी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर एवं सावित्री देवी द्वारा प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अपनी सम्पति पट्टा नं. 71 (क्षेत्रफल 2250 वर्गफुट) गांव 22 एएस—बी, ग्रा.प. 6 डीपी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** दाता किरयाणा स्टोर, मनीष कुमार, सावित्री देवी एवं हंसराज को 13.00/—लाख रूपये (अखरे रूपये तेरह लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति 22.04.2019 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मनीष कुमार की सम्पत्ति पट्टा नं. 70 (क्षेत्रफल 2250 वर्गफुट) गांव 22 एएस—बी, ग्रा.प. 6 डीपी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर एवं सावित्री देवी की सम्पत्ति पट्टा नं. 71 (क्षेत्रफल 2250 [illegible] गांव 22 एएस—बी, ग्रा.प. 6 डीपी, घड़साना जिला श्रीगं[illegible] रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.02.2022 **को अनर्जक परिसम्पत्ति**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

(एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 14.02.2022 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.02.2022 को भिजवाये गये है, जिसकी तामिल के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के आनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी मनीष कुमार द्वारा अपनी सम्पत्ति पट्टा नं. 70 (क्षेत्रफल 2250 वर्गफुट) गांव 22 एएस—बी, ग्रा.प. 6 डीपी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर एवं सावित्री देवी की सम्पत्ति पट्टा नं. 71 (क्षेत्रफल 2250 वर्गफुट) गांव 22 एएस—बी, ग्रा.प. 6 डीपी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 14.02.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 14.02.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.02.2022 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

में उपलब्ध है, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मनीष कुमार एवं सावित्री देवी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड) का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और मनीष कुमार की सम्पत्ति पट्टा नं. 70 (क्षेत्रफल 2250 वर्गफुट) गांव 22 एएस—बी, ग्रा.प. 6 डीपी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर एवं सावित्री देवी की सम्पत्ति पट्टा नं. 71 (क्षेत्रफल 2250 वर्गफुट) गांव 22 एएस—बी, ग्रा.प. 6 डीपी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:36:17 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर